विषय: नराकास राजभाषा शील्ड योजना

<u>मूल्यांकन मानदण्ड</u>

नराकास राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 2013-14 से लागू है। क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार की मदों के साथ एकरूपता लाने तथा बदलते परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण इस योजना में निम्नानुसार कुछ संशोधन किया गया है:

<u>मूल्यांकन मानदंड :</u>

क्र.सं.	मद विवरण	निर्धारित अंक	स्पष्टीकरण
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन	10	इस मद के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करने अपेक्षित होते हैं। इसका अनुपालन करने पर पूरे अंक मिलेंगे किंतु उल्लंघन होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। प्रोफार्मा के साथ जारी दस्तावेजों की 4-5 प्रतियां (नमूना प्रति के रूप में) भी संलग्न करें। प्रतियां संलग्न न होने पर 2 अंक कम दिए जाएंगे।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर	10	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस नियम का उल्लंघन होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। प्रोफार्मा के साथ हिंदी में उत्तरित पत्रों की 4-5 प्रतियां (नमूना प्रति के रूप में) भी संलग्न करें। प्रतियां संलग्न न होने पर 2 अंक कम दिए जाएंगे।
3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	10	अंग्रेजीमेंप्राप्तपत्रोंकेउत्तर शत प्रतिशत हिंदीमेंदिएजानेपर 10 अंक दिए जाएंगे तथा या प्राप्त प्रतिशत के अनुपात में 10 में से अंक दिए जाएंगे। अंग्रेजी पत्रों के हिंदी में उत्तरित पत्रों की 4 5 प्रतियां (नमूना प्रति के रूप में) भी संलग्न करें। प्रतियां संलग्न न होने पर 2 अंक कम दिए जाएंगे।
4.	**मूल रूप से हिंदी में पत्राचार**	15	भारत सरकार द्वारा क, ख एवं ग क्षेत्रों के लिए हिंदी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। **पत्राचार का प्रतिशत** क, ख एवं ग क्षेत्र के लिए निर्धारित शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर 20 अंक दिए जाएंगे या प्राप्त प्रतिशत के अनुपात में 20 में से अंक दिए जाएंगे।
5.	**अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की स्थिति**	10	कार्यालय में जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना अपेक्षित है उनमें से जितने कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए **कुल स्टाफ (अधीनस्थ छोडकर)** की तुलना में यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसे 8 अंक दिए जाएंगे।
6.	**तिमाही प्रगति रिपोर्ट पूरी सूचना सहित समय पर उपलब्ध कराना**	20	तिमाही समाप्त होने के पश्चात 15 दिनों के अंदर तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के साइट पर उपलब्ध करवाने पर 10 अंक दिए जाएंगे। निर्धारित समय पर रिपोर्ट न भेजने पर 5 अंक कम दिए जाएंगे।

7.	**केवल हिन्दी में आयोजित शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें** **(अतिरिक्त मद)**	**5**	कार्यालयों में हिन्दी में आयोजित शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों के लिए संपूर्ण अंक दिए जाएंगे. प्रमाण दिया जाना अनिवार्य है. प्रमाण न दिए जाने पर अंक नहीं मिलेंगे.
8.	**नियंत्रणाधीन विभागों /शाखाओं का हिंदी पत्राचार(अतिरिक्त मद)**	**5**	कार्यालय के अधीन शाखाओं/विभागों में से हिन्दी पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करने वाली शाखाओं/विभागों की संख्या के आधार पर 10 अंक यथानुपात दिए जाएंगे।
9.	**उच्च अधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत हिंदी में काम करना प्रस्तावित** **टिप्पण लेखन**	**5**	कुल कितनी टिप्पणियां लिखी गई तथा उनमें से हिन्दी में लिखी जानी वाली टिप्पणियों की संख्या। वार्षिक कार्यक्रम दिए गए लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर 5 अंक दिए जाएंगे या प्राप्त प्रतिशत के अनुपात में अंक दिए जाएंगे। नमूना प्रति के रूप में 4–5 प्रतियां संलग्न करें। प्रतियां संलग्न न होने पर 2 अंक कम दिए जाएंगे।
10.	**हिंदी माह/दिवस के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में भागीदारी**	**15**	कार्यालय में इस दौरान आयोजित कुल प्रतियोगिताओं की संख्या तथा की गई नई पहल के आधार पर अंक दिए जाएंगे। हिंदी दिवस की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न करें। प्रतियोगिताओं की संख्या 5 से अधिक होने पर 10 अंक तथा उसी अनुपात में अंक दिए जाएंगे। नई पहल के लिए : 5 अंक
11.	**हिंदी कार्यशालाएं**	**15**	वर्ष में दिए गए लक्ष्य अनुसार हिन्दी कार्यशाला 10 अंक प्रत्येक कार्यशाला में प्रतिभागी संख्या 20 से 25 होनी चाहिए।
12.	**मानक फार्म, रबर की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, आदि का द्विभाषीकरण**	**5**	सभी कार्यालयों में उपलब्ध मानक फार्म, रबर की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, आदि शत प्रतिशत द्विभाषी/त्रैभाषिक होने चाहिए। अत: कुल उपलबध मानक फार्म, रबर की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। किंतु इस नियम का जरा भी उल्लंघन होने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
13.	**राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन**	**15**	प्रत्येक तिमाही में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन करने पर प्रत्येक तिमाही के लिए 2 अंक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अर्थात वर्ष में 4 बैठकें आयोजित करने पर कुल 10 अंक दिए जाएंगे। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त बैठक आयोजन के 15 दिन के अंदर अपने प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने पर अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे।
14.	**शाखा/विभाग निरीक्षण तथा डेस्क प्रशिक्षण**	**20** **संशोधित**	प्रत्येक तिमाही में निरीक्षण किए जाने पर 2.5 अंक प्रति तिमाही हेतु प्राप्त होंगे।100% निरीक्षण होने पर अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे. डेस्क प्रशिक्षण दिए जाने हेतु 5 अंक दिए जाएंगे।

15.	**कंप्यूटरों में यूनिकोड की उपलब्धता**	**5**	प्रत्येक कम्प्यूटर में यूनिकोड उपलब्ध होना चाहिए।
16.	**संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभाग (अतिरिक्त मद)**	**5**	वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यानुसार विनिर्दिष्ट विभाग के लिए अंक दिए जाएंगे. विनिर्दिष्ट विभाग की कार्य के प्रमाण संलग्न करें.
17.	**गृह मंत्रालय/ अन्य किसी उच्च संस्था/अपने प्रधान कार्यालय से पुरस्कार प्राप्त होना.**	**10**	प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर 10 अंक दिए जाएंगे, द्वितीय पुरस्कार हेतु 8 अंक, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार हेतु 5 अंक दिए जाएंगे।प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करें।
18.	**नराकास में कार्यालयाध्यक्ष की उपस्थिति**	10	नराकास की बैठक में कार्यालय अध्यक्ष के स्वयं उपस्थित होने पर 10 अक प्रदान किया जाएगा अन्यथा इस मद में कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
19.	**विशेष उपलब्धियां**	**10**	राजभाषा शील्ड मूल्यांकन प्रोफार्मा में दी गई सूचना के अपने कार्यालय स्तर पर द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अपने स्तर पर किए गए प्रयास यथा: • क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय/नराकास में उपस्थिति तथा उनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सहभागिता 5 अंक • राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने वाले अभिनव कार्य आदि के लिए अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे जिसमें कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर हिंदी संदर्भ साहित्य/प्रशिक्षण सामग्री का प्रकाशन 5 अंक, पत्रिका के लिए हिंदी में लेख भिजवाना 2 अंक, आज का शब्द/विचार नियमित रूप से डिस्प्ले बोर्ड पर लिखना 3 अंक तथा अन्य अभिनव कार्य 5 अंक
	कुल अंक	200	